भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3209 का उत्तर

डबल ट्रैकिंग परियोजना (दक्षिण पश्चिम रेलवे)

3209. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार/रेलवे प्राधिकारियों के पास गोवा में मडगांव और वास्को डी गामा के बीच के खंड सहित उन सभी संपत्तियों के वैध स्वामित्व दस्तावेज या कानूनी रूप से तैयार किए गए भूमि अभिलेख हैं जिन पर दक्षिण पश्चिम रेलवे पर दोहरी ट्रैकिंग परियोजना के संबंध में रेल पटरियां पहले ही बिछाई जा चुकी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी प्रत्येक संपत्ति के संबंध में मालिकाना हक के हस्तांतरण और मुआवजे के भुगतान सहित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उन संपत्तियों का ब्यौरा क्या है जहां अधिग्रहण पूरा किए बिना अथवा स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए बिना पटरियां बिछाई गई हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अधिग्रहण का कार्य पूरा होने से पहले रेल पटरियां बिछाना रेल अधिनियम, 1989 और लागू भूमि अधिग्रहण कानूनों के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वामित्व को नियमित करने और किसी भी कानूनी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को दूर करने के लिए समय-सीमा सहित उठाए गए अथवा प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): गोवा क्षेत्र की रेल सम्पर्कता में सुधार के लिए होसपेटे-हुब्बल्लि-लोन्डा-वास्को-दा-गामा (312 कि.मी.) लाइन का दोहरीकरण करने का काम शुरू किया गया है। 312 कि.मी. की

परियोजना में से 261 कि.मी. का दोहरीकरण कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना का 72 कि.मी. गोवा राज्य में है, जिसमें से 30 कि.मी. कमीशन हो चुका है।

गोवा में परियोजना की लंबाई के लिए भूमि अधिग्रहण का कुल क्षेत्रफल 149 हेक्टेयर है। इसमें से 13 हेक्टेयर निजी भूमि है और 136 हेक्टेयर वन भूमि है। कुल 13 हेक्टेयर निजी भूमि में से 11 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। वन भूमि का अंतरण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

इस परियोजना के पूर्ण होने पर गोवा से देश के अन्य हिस्सों तक माल और यात्रियों की गतिशीलता और संपर्कता में सुधार होगा।

रेलवे संबंधित राज्य/जिला प्राधिकरणों के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करती है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में सभी गतिविधियां जैसे भू-वंचितों के मुआवजे की राशि का आकलन कार्य आदि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।

भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा रेलवे से उसकी मांग करने के बाद भू-वंचितों को दिया जाता है। यह प्रक्रिया रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों का पालन करते हुए राज्य सरकारों के साथ समन्वय से की जाती है।

****